[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i)]

Government of India MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

Notification

New Delhi, dated 01.07.2019

- G.S.R. (E).- In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 read with section 90 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Significant Beneficial Owners) Rules, 2018, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Companies (Significant Beneficial Owners) second Amendment Rules, 2019.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the principal rules, for Form No. BEN-2, the following Form shall be substituted, namely:—

FORM NO. BEN-2

[Pursuant to section 90(4) of The Companies Act, 2013 and rule 4 and rule 8 of the Companies (Significant Beneficial Owners) Rules, 2018]



Return to the Registrar in respect of declaration under section 90

Form language o English o Hindi

Refer the instruction kit for filing the form.

Refer the instruction kit for filing the form.				
1.	(a) *Corporate Identity Number (C	IN) of company		Pre-fill
2.	(a) Name of the company			
	(b) Registered Office Address			
	(c) *email Id			
3.	* Purpose of filing the form			
	O For declaration of holding rep	porting company		
	CIN of the holding reporting of	company		
	O For declaration of Significant	Beneficial Ownership	under Sectio	n 90
	Number of Significant Benefi is being filed	cial Owners for whom	the form	
	O For Change in Significant Ben	eficial Ownership und	ler Section 90	
S	ignificant Beneficial Owner		Number of Nor right in re	Nembers through whom indirect holding porting company is being exercise
5	SBO1			
	SBO2			
-	SBO3			
1 5	SBO4			

SBO6				
SBO7				
SBO8				
SBO9				
SB01 I.				
(A) Details of the Men	nber			
	gnificant beneficial interest right (select one or more a		exercised either indirectly or le)	together with
O By virtue of exerc		or any other distr of agreement)		_ %
Particulars o	f the Member			
(a) Type of Men	nber			
Number (FCF or any other	lentity number(CIN) or For RN) or Limited liability part registration number	170	70.5	Pre-fill
(c) Name of the	Member			
(d) Address				
Line I				
Line II				
City		State		
Country		Pin Code		
(e) Email ID of t	he Member	+		

(DD/MM/YYYY)

(f) Date of entry of name in register u/s 88

SBO5

Status of the SBO	
 Whether individual (SBO) has majority stake in the Member of the Reporting Company Ultimate Holding Company of the member of the reporting company 	
Corporate Identity number (CIN) or FCRN or any other registration number	Pre-fil
Name of the ultimate holding company	
O) Whether the individual (SBO): O is a Partner of the member O holds majority stake in the body corporate partner O holds majority stake in the ultimate holding company of the body corporate partner	
Corporate Identity number(CIN) or FCRN or any other registration	Pre-fill
Name of the body corporate partner/ ultimate holding company	
ID of the Significant Beneficial Owner (a) Name First name Last name Middle name	
(b) Father's Name (Even married women must give father's name) First name Last name Middle name	
(c) Date of birth [DD/MM/YYYY)	
(d) Nationality	
(e) Whether a citizen of India O Yes O No	
(f) Income Tax PAN Verify Income-tax PAN Details	
(g) Passport Number	
(h) Address	

Line I	
Line II	
City	
Country Pin Code	
(i) Email ID of the Significant Beneficial Owner	
(j) Date of acquiring Significant Beneficial Interest	(DD/MM/YYYY)
(k) Date of declarations under sub-section (1) of section 90	(DD/MM/YYYY)
(I) Date of receipt of the declaration by the company	(DD/MM/YYYY)
(m) Whether Significant Beneficial Owner has any direct holding or right in to O Yes O No	he reporting company
If yes, enter details below: By virtue of shares By virtue of voting rights in shares By virtue of rights on distributable dividend or any other distribution By virtue of exercise of control (attach copy of agreement) By virtue of exercise of significant influence (attach copy of agreement)	%
Attachments:	List of Attachments
1. *Declaration under Section 90	
Optional attachments, if any	
	Remove attachment
Declaration	
To the best of my knowledge and belief, the information given in this form and attack complete. I have been authorized by board of directors' resolution dated* sign and submit this form.	(DD/MM/YYYY) to

*Director identification r DIN or PAN of the mana Membership number of		or				
	Certifica	te by Practio	cing Profession	nal		
It is hereby certified that the subject matter of th attachment(s)) from the them to be true, correct	is form and matters inc original records maintai	idental theretoned by the Co	o and I have ve empany which is	erified the above subject matter	e particulars (includi of this form and fou	ng
O Chartered Accountant	(in whole-time practice)	or	O Cost Account	ant (in whole-tir	me practice) or	
O Company Secretary (in	n whole-time practice)			DSC I	вох	
Whether Associate or Fe	llow O A	ssociate	O Fellow			
Membership Number						
Certificate of Practice Number						
	Check form	Prescru	tiny	Submit		
Modify						

This e-Form has been taken on file maintained by the register of companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the Director and professional.

[F.No. 1/1/2018 CL-V]

K.V.R.Murty, Joint Secretary.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Extra ordinary, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 561(E), dated the 13th June, 2018 and subsequently amended *vide* number G.S.R.100 (E), dated the 8th February, 2019.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

1 जुलाई 2019

सा.का.नि. (अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 90 के साथ पठित धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी) नियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्ः-

- (1) ये नियम कंपनी (महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी) द्वितीय संशोधन नियम, 2019
 है।
 - (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. मूल नियमों में प्ररूप संख्या बीईएन-2 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

प्ररूप संख्या बीईएन-2

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 90(4) और कंपनी (महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी) नियम, 2018 के नियम 4 के अनुसरण में]



धारा 90 के अधीन घोषणा के संबंध में रजिस्ट्रार को विवरणी

प्ररूप की भाषा ०हिंदी 0अंग्रेजी प्ररूप को दायर करने हेतु अनुदेश किट देखें।

1.	(क) * कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) (पूर्व पूरित)
2.	(क) कंपनी का नाम(ख) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता
3.	*इस प्ररूप को दायर करने का उद्देश्य

- - ० होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी की घोषणा के लिए होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी का सीआईएन
 - ं धारा 90 के अधीन महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामित्व की घोषणा हेत् महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामियों की संख्या जिनके लिए प्ररूप दायर किया जा रहा है
 - ० धारा 90 के अधीन महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामित्व में परिवर्तन हेत्

महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी	उन सदस्यों की संख्या जिनके माध्यम से रिपोर्टिंग कंपनी में
	अप्रत्यक्ष रुप से होल्डिंग या अधिकार का प्रयोग किया जा रहा है
एसबीओ1	
एसबीओ2	
एसबीओ3	
एसबीओ4	
एसबीओ5	
एसबीओ6	
एसबीओ7	:
एसबीओ8	
एसबीओ9	

एसबाआ। ।
(क) सदस्य का विवरण
*वह रीति जिसमें महत्वपूर्ण हिताधिकारी हित या तो अप्रत्यक्ष रूप से या किसी प्रत्यक्ष
होल्डिंग या अधिकार के साथ मिलकर धारित है या प्रयोग किया जा रहा है। (एक या
अधिक, जो लागू हो, का चयन करें)
ं शेयरों के माध्यम से %
ं शेयरों में मताधिकार के माध्यम से%
ं वितरण योग्य लाभांश या अन्य किसी वितरण पर अधिकार के माध्यम से
%
ं नियंत्रण का प्रयोग करने के माध्यम से (समझौते की प्रति संलग्न करें)
ं महत्वपूर्ण प्रभाव के माध्यम से (समझौते की प्रति संलग्न करें)
सदस्य का ब्यौरा
(क) सदस्य का प्रकार
(ख)कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) या विदेशी कंपनी रजिस्ट्रीकरण संख्या (एफसीआरएन)
या सीमित देयता भागीदारी पहचान संख्या (एलएलपीआईएन) या अन्य रजिस्ट्रीकरण
संख्या (पूर्व पूरित)
(ग) सदस्य का नाम
(घ) पता
पंक्ति।
पंक्ति ॥
शहर राज्य
राष्ट्र पिन कोड
(इ) सदस्य का ई-मेल पता
(च) धारा 88 के अधीन रजिस्टर में नाम प्रविष्ट करने की तारीख
(दिन/माह/वर्ष)
(ख) एसबीओ की प्रस्थिति
(ग) क्या वैयक्तिक (एसबीओ) के पास निम्नलिखित के पास बह्संख्यक हिस्सा है
० रिपोर्टिंग कंपनी के सदस्य
० रिपोर्टिंग कंपनी के सदस्य की अंतिम होल्डिंग कंपनी
कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) या अन्य कोई रजिस्ट्रीकरण संख्या(पूर्व
पूरित)
1

· (;	अंतिम होल्डिंग कंपनी का नाम
	(घ) क्या वैयक्तिक (एसबीओ) :
	कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) या एफसीआरएन या अन्य कोई रजिस्ट्रीकरण संख्य
	कारपोरेट निकाय भागीदार/अंतिम होल्डिंग कंपनी का नाम
	(इ) महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी की विशिष्टियां महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी का पहचान पत्र (क) नाम
	पहला नाम अंतिम नाम मध्य नाम (ख)पिता का नाम (विवाहित महिलाएं भी पिता का नाम लिखें)
	पहला नाम अंतिम नाम मध्य नाम
	(ग) जन्मतिथि(दिन/माह/वर्ष) (घ) राष्ट्रीयता
	(ङ) क्या भारत के नागरिक हैं o हां o नहीं (च) आयकर पैन (आयकर पैन का सत्यापन करें) (छ) पासपोर्ट संख्या
	(ज) पता पंक्ति । पंक्ति ॥
	शहर राष्ट्र पिन कोड (झ) महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी का ई-मेल पता
	(ञ) महत्वपूर्ण हिताधिकारी हित प्राप्त करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष) (ट) धारा 90 की उपधारा (1) के अधीन घोषणाओं की तारीख (दिन/माह/वर्ष)
	(ठ) कंपनी द्वारा घोषणा प्राप्ति की तारीख (दिन/माह/वर्ष)

(ड) क्या महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी के पास रिपोर्टिंग कंपनी में कोई प्रत्यक्ष होल्डिंग या अधिकार है O हां O नहीं यदि हां तो, नीचे विवरण दें:
 शेयरों के माध्यम से
संलग्नकः
संलग्नकों की सूची 1. *धारा 90 के अधीन घोषणा (संलग्न करें)
 वैकल्पिक संलग्न, यदि कोई है तो (संलग्न करें)
(सलंग्नक हटाएं)
घोषणा
मेरी सर्वोत्म जानकारी और विश्वास के अनुसार, इस प्ररूप और अनुलग्नकों में दी गई सूचना सही और पूर्ण है। मुझे बोर्ड के निदेशकों के संकल्प, तारीख (दिन/माह/वर्ष) के द्वारा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।
*डिजीटल हस्ताक्षर किया जाए (डीएससी बॉक्स)
*पदनाम
*निदेशक का निदेशक पहचान संख्या या प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ का पैन; या कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या

व्यवसायरत पेशेवर द्वारा प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों को इस प्ररूप की विषयवस्तु और उससे आनुषंगिक मामलों के संबंध में पढ लिया है और मैंने उपरोक्त विवरणों, जो उस प्ररूप की विषयवस्तु है, (जिसमें संलग्नक भी शामिल हैं) को कंपनी द्वारा रखे गए मूल/अभिलेखों से सत्यापित कर लिया है और उन्हें सत्य, सही और पूर्ण पाया है और इस प्ररूप से संबंधित कोई सूचना छिपाई नहीं गई है।

- चार्टर्ड अकाउटेंट (पूर्णकालिक व्यवसायरत)
 ठ लागत लेखाकार (पूर्णकालिक व्यवसायरत)
- O कंपनी सचिव (पूर्णकालिक व्यवसायरत) (डीएससी बॉक्स)

क्या एसोशिएट या फैलो है *एसोशिएट *फैलो

सदस्यता संख्या

प्रैक्टिस संख्या प्रमाणपत्र

संशोधन करें

प्ररूप चैक करें

पूर्व संवीक्षा

प्रस्तुत करें

टिप्पणः धारा ४४८ और ४४९ के उपबंधों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो क्रमशः मिथ्या कथन के लिए दंड और मिथ्या साक्ष्यों के लिए दंड का उपबंध करता है।

यह ई-प्ररूप कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा रखी गई फाइल में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लिया गया है और निदेशक और पेशेवर द्वारा दिए गए यथार्थता के कथन पर आधारित है।

> [फा.सं. 1/1/2018 सीएल. V] के.वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-2, असाधारण, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.561(अ) तारीख 13 जून, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इसके पश्चात् दिनांक 8 फरवरी, 2019 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.100(अ) द्वारा संशोधित किए गए।
